(ख) सरकार उन दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है जो निर्धारित पार्किंग स्थलों पर अपने वाहनों और ट्रकों आदि को पार्क करने के बजाय उन्हें अपनी दुकानों के सामने पार्क करते हैं; और

(ग) सदर बाजार में यातायात संबंधी अव्यवस्था की समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सदर बाजार एक व्यस्त वाणिज्यिक केन्द्र होने के कारण, इस क्षेत्र में दिन-प्रति-दिन यातायात बढ़ रहा है।

(ख) उन व्यक्तियों के विरुद्ध नियमित रूप से मुकदमे चलाये जाते हैं जो "नो पार्किंग" क्षेत्रों में अथवा अनुचित ढंग से सड़कों पर वाहन पार्क करते हैं, जिससे यातायात में रुकावट पैदा होती है। 1987 के दौरान सदर बाजार क्षेत्र में, 5282 व्यक्तियों का गलत पार्किंग करने के लिए चलान किया गया और लगभग एक लाख रुपये कम्पाउन्ड फीस के रूप में वसूल किये गये।

(ग) इस क्षेत्र में स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और यातायात नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

स्टेट बैंक आफ इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को ऋण दिया जाना

820. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को 25000/- 25000/- रुपए का ऋण दिया और इस संबंध में शाखा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस बैंक के शाखा प्रबन्धक इन लाभ-प्राप्तियों से कमीशन के रूप में भारी राशि वसूल रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रदेश में कितने बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई थी; और

उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कितने आवेदन पत्र रद्द किए गए और उनके रद्द किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) स्टेट बैंक आफ इंदौर द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1986-87 में दिये गये

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा दिये गये ऋण

821. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को 25000/- 25000/- रुपए का ऋण दिया और इस संबंध में शाखा-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस बैंक के शाखा प्रबन्धक इन लाभ-प्राप्तियों से कमीशन के रूप में भारी राशि वसूल रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ऋणों की संख्या से संबंधित राज्यवार स्थिति निम्नलिखित सारणी में दी गयी है :–

राज्य का नाम	खातों की संख्या	रकम (लाख रुपए)
मध्य प्रदेश	850	181.06
उत्तर प्रदेश	10	2.50
राजस्थान	8	1.19
गुजरात	12	1.70
महाराष्ट्र	20	5.00

बैंक ने यह भी बताया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से, प्रधान कार्यालय में शाखा-वार सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ख) स्टेट बैंक आफ इंदौर ने सूचित किया है कि आवेदकों की ऋण, प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर तथा जिला उद्योग केन्द्र के कृतिक बल द्वारा रूपांतर की गयी सूची में से मंजूर किये गये थे।

(ग) यह सवाल पेदा ही नहीं होता।

822. [*Transferred to the 6th May, 1988*].

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किये गये दहेज से संबंधित मामले

823. श्रीमती बीना वर्मा :
श्री कपिल वर्मा :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दहेज के संबंध में दर्ज किए गए मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने में सफल रही है; यदि हां, तो गत तीन वर्षों का उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :

(क) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिए गये हैं :–

वर्ष	दहेज के कारण हुई मौतें	भा०द० सं० की धारा 406 के अधीन	भा०द० सं० की धारा 498–क के अधीन	दहेज निषेध अधिनियम के अधीन
1985	43	54	169	10
1986	64	95	707	10
1987	79	144	297	12

(ख) और (ग) नये कानूनों के प्रवर्तन के कारण दहेज के कारण हुई मौतों के और मामलों को दर्ज किया जा रहा है जिन्हें पहले आत्महत्या के रूप में दर्ज किया जाता था। इसलिए आंकड़ों में वृद्धि का रुख प्रतीत होता है। फिर भी, इस अपराध को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। दहेज अपराधों से निपटने के लिए सम्बद्ध कानूनों को और भी सख्त बनाया गया है।

Wafer Sharing Agreement with - Bangladesh '

824. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will tie Minister of WATER', RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government's., attention has been, drawn to a news-item captioned findia-delaying -water[1] pact with'Bangla-desh' as.reported in.tire .Indian post of 18th April, 1988;